

## राजस्व पर्षद, बिहार, पटना

सं०सं०-०२/परी०-०९(को०प्र०)-०१/२०१९-

### शुद्धि-पत्र

पर्षदीय पत्रांक-१३४६ दिनांक ०४.०६.२०१८ के क्रमांक -०७ पर अंकित विवरणानुसार डॉ० ललन कुमार लक्ष्मण, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मधेपुरा (मुरहो), के कोषागार प्रशिक्षण प्रमाण पत्र को स्वीकृति प्रदान की गई थी।

जिला पदाधिकारी मधेपुरा के ज्ञापांक-३९८ दिनांक-०३.०८.२०१९ द्वारा निर्गत शुद्धि पत्र में अनुरोध किया गया है कि उनके पूर्व में निर्गत प्रमाण-पत्र में टंकण भूलवश “डॉ० ललन कुमार लक्ष्मण” के स्थान पर “डॉ० ललन कुमार” अंकित हो गया था जिसे “डॉ० ललन कुमार लक्ष्मण” पढ़ा जाय।

उक्त के आलोक में पर्षदीय पत्रांक-१३४६ दिनांक-०४.०६.२०१८ द्वारा निर्गत स्वीकृति पत्र के क्रमांक-०७ पर पदाधिकारी का नाम/पदनाम/पता कॉलम के अन्तर्गत “डॉ० ललन कुमार” के स्थान पर “डॉ० ललन कुमार लक्ष्मण” पढ़ा जाय। शेष विवरण यथावत् रहेंगे।

ह०/-

अवर सचिव

राजस्व पर्षद, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- सं०सं०-०२/परी०-०९(को०प्र०)-०१/२०१९-१७३४ पटना, दिनांक:-१२-०९-२०१९  
प्रतिलिपि:- निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशालय, बिहार, पटना/महालेखाकार, बिहार, वीरचंद पटेल पथ, पटना /अवर सचिव, (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) वित्त विभाग, बिहार, पटना एवं डॉ० ललन कुमार लक्ष्मण, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मधेपुरा (मुरहो), को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अवर सचिव

राजस्व पर्षद, बिहार, पटना।

12/09/19